Q. संविधानवाद से आप क्या समझते हैं? संविधानवाद की अवधारणाओं का उल्लेख करें।

Ans.: संविधानवाद एक ऐसी अवधारणा है जो इस मान्यता पर आधारित है कि राजनीतिक व्यवस्था नियमों तथा विनियमों द्वारा संचालित होना चाहिए। यह व्यक्तियों की इच्छा की जगह कानून की सर्वोच्चता को स्थापित करता है। यह राष्ट्रवाद, प्रजातंत्र तथा सीमित शासन के सिद्धान्तों को समाहित करती है। इसे "विभाजित शक्तियों की व्यवस्था" का समरूपी माना जा सकता है। जैसा कि कार्ल जे० फ्रेडरिक ने कहा है- "शक्तियों को विभाजित कर संविधानवाद प्रशासनिक कार्यवाही पर प्रभावी नियंत्रणों की व्यवस्था का प्रावधान करता है। इसका अध्ययन करते समय व्यक्ति को उन विधियों तथा तकनीकों को खोजना पड़ता है जिनके द्वारा प्रतिबन्ध आरोपित किये जाते हैं तथा बनाये रखे जाते हैं। ये उन नियमों का निकाय है जो सदाचार को सुनिश्चित करते हैं तथा इस प्रकार शासन को उत्तरदायी बनाते हैं।"

'संविधान' शब्द राजनीतिक समाज के उस ढाँचे की ओर संकेत करता है जिसका गठन कानून के द्वारा किया गया है, जिसमें कर्तव्यों तथा अधिकारों से युक्त स्थायी संस्थाओं की स्थापना की गई है। जबकि संवैधानिक राज्य वह है जिसमें शासन की शक्तियाँ, शासितों के अधिकारों तथा दोनों के बीच सम्बन्ध समायोजित होते हैं। व्हेयर के अनुसार "संवैधानिक शासन का अर्थ संविधान के शब्दों के अनुरूप शासन से भी अधिक है। क्योंकि यह स्वेच्छाचारी शासन के विपरीत, नियमों के अनुसार शासन। इसका अर्थ है संविधान के शब्दों के अनुसार सीमित शासन, न कि उन लोगों के इच्छाओं तथा क्षमताओं द्वारा सीमित शासन जो सत्ता का प्रयोग करते हैं।" इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि संवैधानिक शासन वह है जिसका संचालन सकारात्मक प्रतिबन्धों के ढाँचे के अन्तर्गत होता है। यह अलग बात है कि प्रतिबन्ध की मात्रा विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं में भिन्न-भिन्न हो सकती है।

Scanned with CamScanner

इस प्रकार संविधानवाद एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था चाहता है जिसमें शासन की शक्तियाँ सीमित हो। यह एक सीमित शासन है। यह सभ्य शासन का दूसरा नाम है। संविधान की वास्तविक न्यायोचितता शासकों से यह अपेक्षा करने में निहित है कि वे कानूनों तथा नियमों के अनुसार चलें। हम देखते हैं कि तानाशाही शासन में संविधान को तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि केवल प्रजातांत्रिक देश में ही संवैधानिक शासन का अस्तित्व होता है।

संविधानवाद के विकास का इतिहास राजनीतिक संस्थाओं के विकास का इतिहास है। यह सबसे पहले प्राचीन यूनान तथा रोम के प्रदेशों में प्रकट हुआ तथा मध्य काल और आधुनिक काल में इसका विकास हुआ है। अरस्तू ने "दि लॉज" में समाहित प्लेटो के द्वितीय सर्वोत्तम राज्य से सूत्र ग्रहण किया तथा कानून की व्यवस्था पर आधारित मध्यमवर्ग के शासन की श्रेष्ठता को न्यायोचित सिद्ध किया। रोम के समाटों ने शासन के विधिक उपकरण के रूप में संविधान का विकास किया। उन्होंने अपने कानून को संहिताबद्ध किया तथा प्रतिनिधि शासन के सिद्धान्त की नींव डाली। मध्य युग में टयुटनों ने प्रथाजनित कानून अथवा जन कानून के महत्व पर बल दिया। सामन्तवाद के युग में रोमनों की यह मान्यता कि जनता ही सत्ता के अन्तिम स्त्रोत है तथा बर्बर जनजातियों की यह मान्यता कि राजा समुदाय के कानून के अधीन है, दोनों सुरक्षित रूप में मिल गयी। लेकिन ईसाइयत के बढ़ते प्रभाव ने इसमें धार्मिक तत्व भी जोड़ दिया और राज्य के कानूनों को चर्च के अधिकारियों की व्याख्या के अनुसार धर्म के कानूनों के अधीन कर दिया। इस प्रकार धार्मिक आदेशों का पालन संवैधानिक राज्य के विचार का अनिवार्य लक्षण बन गया। पोपशाही की समाप्ति एवं धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र-राज्य के उदय ने नई चेतना विकसित की। मेकियावली ने अपनी पुस्तक "प्रिन्स" में तथा बोदां ने 'Six Books on the Republic' में राजनीति का धर्मनिरपेक्ष रूप